// कार्यालय कलेक्टर, जिला दुर्ग (छ.ग.) //

E-mail ID – duda.durg1@gmail.com

पत्र क्र./781/नगरीय निकाय शाखा/2026 दुर्ग, दिनांक 1 सितम्बर 2026

प्रति,

1. सर्व आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला– दुर्ग।
2. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला– दुर्ग।

विषय :– प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों स्थित सार्वजनिक खुले मैदान, सार्वजनिक मार्ग फुटपाथ चौराहे या सार्वजनिक खुले स्थान आदि पर पंडालों/अस्थाई संरचनाओं के निर्माण की अनुमति हेतु अतिरिक्त दिशा निर्देश बाबत्।

संदर्भ :– छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र कं LAW/42015/1969/2025/UAD दि 25.08.2025

–––––00–––––

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों की कंडिका 7/26 में जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की सहमति से अन्य शर्तें जोड़े जाने विषयक प्रावधान किये गये हैं। इस संबंध में दिनांक 01/09/2026 को आयोजित बैठक में हुई चर्चा के तारतम्य में उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिका के साथ–साथ निम्नानुसार निर्देश भी जारी किये जाते हैं। अतः विभागीय मार्गदर्शिका के साथ–साथ इनका अनुपालन भी अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए।

1. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेश क्रमांक/812/एस.डब्ल्यू./2026 दुर्ग, दिनांक 26.08.2026 के माध्यम से दुर्ग शहर के प्रमुख मार्गों पर राजनीतिक, सामाजिक, व्यवसायिक एवं कर्मचारी संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन, जुलूस, सभा, रैली, टेंट, माइक, फर्नीचर आदि लगाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, जिसका पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।

2. भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशीप क्षेत्र में चूंकि समस्त भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र की है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से स्थानों में भी भिलाई इस्पात संयंत्र की भूमि है। अतः भिलाई इस्पात संयंत्र की भूमि में किसी आयोजन की अनुमति देने से पूर्व भिलाई इस्पात संयंत्र से अनुमति अनिवार्य रूप से लिया जावे। अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में ही आयोजन की अनुमति दी जावे अन्यथा नहीं।

3. नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देशों की कंडिका–2 में अनुमति शुल्क का अनिवार्य प्रावधान है। अतः उक्त के तारतम्य में इस प्रकार के आयोजनों की अनुमति हेतु आपके नगरीय निकाय द्वारा क्षेत्रफल के आधार पर प्रतिदिवस शुल्क का निर्धारण यदि पूर्व से किया गया हो तो निर्धारित शुल्क की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। यदि पूर्व से निर्धारण नहीं किया गया है तो तत्काल नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देशों के तारतम्य में शुल्क का निर्धारण करते हुए जानकारी तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। निर्धारित शुल्क की दरों का संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जाये तथा प्रत्येक आवेदन के साथ उपरोक्तानुसार शुल्क अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रत्येक अनुमति के पूर्व पुलिस विभाग से अभिमत अनिवार्य रूप से लिया जाए। मार्ग बाधित होने की स्थिति में वैकल्पिक मार्गों का चिन्हांकन पुलिस की सहमति से किया जाए एवं इसकी जानकारी ट्रैफिक पुलिस एवं संबंधित तहसीलदार तथा अनुविभागीय दंडाधिकारी को अनिवार्यतः दी जाए। वैकल्पिक मार्ग का उल्लेख जारी की जाने वाली अनुमति आदेश में भी स्पष्ट रूप से किया जाए। यदि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध न हो तो विभाग की मार्गदर्शिका की कंडिका 17 के अनुसार ऐसे आयोजन की अनुमति नहीं दी जाए।

5. प्रायः यह देखा जाता है की इस प्रकार के आयोजनों के उपरांत स्थल पर गंदगी फैल जाती है। अतः आयोजन की अवधि (दिवस संख्या) तथा समिति द्वारा किए जा रहे आयोजन के क्षेत्रफल के आधार पर तथा शामिल होने वाले संभावित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर नगरीय निकाय द्वारा युक्तियुक्त पर्याप्त राशि आयोजनकर्त्ता समिति/आवेदक से **"स्वच्छता सुरक्षा निधि"** के रूप में जमा कराई जाये। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अनुमति नहीं दी जाए। यदि आयोजन के उपरांत समिति के द्वारा स्थल पर साफ सफाई नहीं कराई जाती है तो उक्त राशि को नगरीय निकाय के पक्ष में राजसात कर, उस राशि से साफ सफाई कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि आयोजन के उपरांत आयोजनकर्त्ता द्वारा साफ सफाई कर स्थल को वापस सौंपा जाता है तो सुरक्षा निधि की राशि बिना ब्याज के आयोजनकर्त्ता समिति को एक सप्ताह के भीतर वापस की जाए।

6. आयोजनकर्त्ता समिति के द्वारा शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या के आधार पर पर्याप्त शौचालय बनाए जाएं। नगरीय निकाय द्वारा आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर यह निर्धारित किया जाए कि कितने संख्या में महिला एवं पुरूष शौचालय बनाए जाने होंगे। ततसंबंध में जारी की जाने वाली अनुमति में स्पष्ट उल्लेख किया जाए। मौके पर यदि शौचालय नहीं बनाए जाते हैं तो उपरोक्त कंडिका 5 का उल्लंघन माना जावें। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका की कंडिका 8 के अनुसार नगरीय निकाय द्वारा पृथक से शुल्क लेकर आयोजनकर्त्ता समिति के स्थल पर शौचालय, जलापूर्ति एवं अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था भी की जा सकती है।

7. प्रत्येक आयोजन (चाहे 5000 वर्ग फीट से कम अथवा 5000 वर्ग फीट से अधिक) दोनों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे स्थापित किया जाए। पंडाल के प्रवेश, निर्गम द्वार, मुख्य मूर्ति स्थल, पार्किंग स्थल एवं वेटिंग हॉल में अनिवार्य रूप से अच्छी क्वालिटि के PTZ सीसीटीवी लगाया जावे। 5000 वर्ग फीट तक के आयोजन में न्यूनतम 8 कैमरे एवं उससे अधिक के आयोजनों में उसी अनुपात में अधिक कैमरा अनिवार्यतः लगाया जाए। कैमरा इस प्रकार का लगाया जाये कि पब्लिक प्रवेश, निकासी द्वार, पूरा पार्किंग क्षेत्र, पण्डाल के सभी कोने एवं मूर्ति को कवर करते हुए तथा मनोरंजन हेतु लगाये गये झूला इत्यादि समस्त स्थानों पर सीसीटीवी कवरेज रहे। सीसीटीवी सिस्टम में न्यूनतम 3 दिन का रिकॉर्डिंग बैकअप होना अनिवार्य किया जाए। इस हेतु डीवीआर भी लगाया जाए।

8. 5000 वर्ग फीट से कम एवं 5000 वर्ग फीट से अधिक के आयोजन के संबंध में नगरीय निकाय के अभियंताओं द्वारा संरचनात्मक स्थायित्व एवं विद्युत सुरक्षा का अनिवार्य रूप से परीक्षण करवाया जाए। शार्टसर्किट न हो इसके लिये पर्याप्त व्यवस्था की जाए। परीक्षण उपरांत प्रमाण पत्र जारी कराए जाने के पश्चात ही अनुमति दी जाए।

9. प्रत्येक आयोजन (5000 वर्ग फीट से कम एवं 5000 वर्ग फीट से अधिक) के संबंध में उप अभियंता अथवा सहायक अभियंता विद्युत वितरण कंपनी/बीएसपी विद्युत विभाग से अनापत्ति अनिवार्य रूप से ली जाए। विद्युत वितरण कंपनी/बीएसपी विद्युत विभाग से अस्थाई कनेक्शन मीटर सहित अवश्य

Scanned with OKEN Scanner

स्थापित किया जाए। इसके बिना आयोजन की अनुमति न दी जाए। सुरक्षा निधि की वापसी के पूर्व विद्युत वितरण कंपनी/बीएसपी विद्युत विभाग से नोड्यूस प्रमाण पत्र अनिवार्यतः लिया जावे।

10. नगरीय प्रशासन विभाग की मार्गदर्शिका की कंडिका 23 के आधार पर यह निर्देशित किया जाता है कि 5000 वर्ग फीट तक के आयोजनों के लिए एक मुश्त राशि रूपये 10,000 तथा 5000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल के आयोजनों के लिए 2 रूपये प्रति वर्ग फीट की दर से **अतिरिक्त सुरक्षा निधि** अग्रिम इस आशय के साथ जमा कराई जाए कि यदि आयोजनकर्त्ता के द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को क्षति, हानि अथवा विरूपण पहुंचाया जाता है तो इस अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को नगरीय निकाय के पक्ष में राजसात करते हुए उक्त हानि अथवा विरूपण का निवारण इस राशि से संबंधित नगरी निकाय के द्वारा किया जाएगा। आयोजन समाप्ति के बाद एक सप्ताह के भीतर नगरी निकाय के अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण किया जाए तथा आसपास के रहवासियों से भी चर्चा की जाकर पंचनामा तैयार किया जाए। यदि किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने की जानकारी प्राप्त होती है तो अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को राजसात किया जाए। यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो आयोजन समाप्ति के एक सप्ताह उपरांत यह अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि आयोजनकर्त्ता को बिना ब्याज के वापस कर दी जाए।

11. पंडालों/अस्थाई संरचनाओं को स्थिर, सुरक्षित एवं यथासंभव अग्निरोधी सामग्री से बनाया जावे। किसी भी पंडाल का निर्माण विद्युत तारों के ठीक नीचे नहीं किया जावेगा। आयोजनों के लिए पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र, रेत भरी बाल्टी तथा पानी की पर्याप्त व्यवस्था भी रखेंगे। अग्निशामक पूरी तरह से भरे हुए एवं वैधता तिथि प्रमाणित होना चाहिए। प्रत्येक पंडाल का फायर ऑडिट सक्षम प्राधिकारी (सेनानी, नगर सेना एवं अग्निशमन सेवाएं) के माध्यम से कराया जावे एवं प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनुमति प्रदाता सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में आयोजन की अनुमति न दी जावे। अग्निशामकों की वैधता की पुष्टि नगरीय निकाय के अभियंताओं के द्वारा भी की जानी चाहिए तथा एक्सपार्यड पाए जाने पर तत्काल आयोजनकर्त्ता से बदलवाया जाना चाहिए।

12. आवेदित आयोजन स्थल पर बनाए जा रहे पार्किंग, पंडाल, मूर्ति, झूला आदि का ले–आउट इस प्रकार होना चाहिए कि आपात स्थिति में प्रत्येक स्थल पर फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस के लिए समुचित पहुंच मार्ग सदैव उपलब्ध रहे।

13. प्रायः देखा जाता है कि इस प्रकार के आयोजनों में पार्किंग की व्यवस्था अपर्याप्त रहती है तथा आयोजनकर्त्ता के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग शुल्क की राशि वसूल की जाती है परंतु वह राशि संबंधित नगरीय निकाय को प्राप्त नहीं होती। इससे जहां एक ओर सार्वजनिक मार्गों पर पार्किंग के कारण आम नागरिकों को आवागमन की असुविधा होती है वहीं दूसरी ओर आयोजनकर्ता द्वारा धनराशि अर्जित की जाती है परंतु संबंधित नगरीय निकाय को उससे कोई राशि प्राप्त नहीं होती। अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक आयोजन में आवेदन क्षेत्रफल का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्षेत्रफल पार्किंग हेतु अनिवार्य रूप से आरक्षित रखा जाए। अर्थात उदाहरण के लिए यदि 10,000 वर्ग फीट में आयोजन की अनुमति ली गई है तो उसमें से न्यूनतम 5000 वर्ग फीट पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा जिसमें कोई संरचना निर्माण/मशीनरी झूला आदि की स्थापना नहीं किया जा सकेगा।

Scanned with OKEN Scanner

14. पार्किंग व्यवस्था हेतु किसी भी आवागमन मार्ग को बाधित नहीं किया जाएगा। आवेदन के साथ आवेदित स्थल का नजरी नक्शा भी लिए जाए जिसमें उपलब्ध सार्वजनिक स्थल का आकार, लंबाई चौड़ाई आदि तथा उसमें से आवेदित स्थल का अकार, लंबाई चौड़ाई स्पष्ट चिन्हांकित हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि पार्किंग स्थल (न्यूनतम 50% क्षेत्रफल) आवेदित स्थल का भाग माना जाएगा। पार्किंग स्थल या तो आयोजन स्थल से जुड़ा होना चाहिए या अधिकतम 50मी. की दूर पर स्थित हो उससे अधिक नहीं।

15. यदि किसी समिति के द्वारा झूला या अन्य मनोरंजन हेतु यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उस संबंध में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकी)/यंत्र प्रदाता से तकनीकि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त कर एक–एक प्रति संबंधित नगरीय निकाय, एसडीएम कार्यालय एवं थाना प्रभारी को सौपेंगे। प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में अनुमति न दी जाए।

16. इसी प्रकार गुफा या किसी अन्य प्रकार की बड़ी झांकी (15 फीट से उंची) का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें भी तकनीकि सुरक्षा प्रमाण पत्र संबंधित नगरीय निकाय के अभियंता से प्राप्त करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई दुर्घटना या अप्रिय स्थिति निर्मित होती है तो उसके लिए तद्नुसार जिम्मेदारी तय की जावेगी।

17. पंडाल पर केवल धार्मिक गानों/भजनों का इस्तेमाल ध्वनि विस्तारक यंत्रों हेतु निर्धारित अधिकतम मापदंडों के भीतर किया जाये। किसी भी प्रकार के अश्लील अथवा आपत्तिजनक गानों का प्रसारण न किया जावे। इसी प्रकार कोई भी ऐसे गीत, संगीत, संदेश, भाषण, उद्घोषणा नहीं की जाए जिससे धार्मिक उन्माद, वैमनस्य अथवा किसी समुदाय विशेष की भावनाएं आहत हों। ऐसा पाये जाने कि स्थिति में पुलिस द्वारा आयोजनकर्ता समिति के सदस्यों/पदाधिकारियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में आयोजनकर्ता व्यक्ति/समितियों को स्पष्ट समझाइश भी देवें।

18. व्हीकल माउंटेड डी.जे. का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 के अतंर्गत व्यवसायिक क्षेत्र में 65 डेसीबल, आवासीय क्षेत्र में 55 डेसीबल एवं सायलेंट क्षेत्र में 50 डेसीबल की सीमा निर्धारित है। चूंकि ऐसे आयोजन प्रायः व्यवसायिक, आवासीय क्षेत्रों में होते हैं। अतः ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ एम्पलीफायर/बेस आदि का प्रयोग होने की दशा में ध्वनि का स्तर निर्धारित मानकों से अधिक हो जाएगा। अतः ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर ही किया जाए एवं यंत्रों के साथ एम्पलीफायर/बेस आदि का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि 10 बजे के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्र/लाउड स्पीकर/सांउण्ड बॉक्स/एम्पलीफायर/बेस का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस संबंध में समस्त आयोजकों को समझाइश दी जाए। यदि इस निर्देश के पश्चात भी किसी पंडाल में एम्पलीफायर/बेस आदि का प्रयोग अथवा निर्धारित ध्वनि सीमा के उपर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना पाया जाता है तो पुलिस के द्वारा एम्पलीफायर/बेस/ध्वनि विस्तारक यंत्र जप्त किये जाकर राजसात की कार्यवाही की जावेगी एवं समिति के सदस्यों के विरूद्ध भी कोलाहल अधिनियम के तहत अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।

19. किसी भी स्थिति में पंडाल/झांकी/झूला हेतु आवेदित स्थल अथवा विसर्जन यात्रा मार्ग के आसपास फटाखा/आतिशबाजी का उपयोग नहीं किया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

20. पण्डालों में केवल मिट्टी से निर्मित मूर्तियों की ही स्थापना की जावेगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP)/प्लास्टिक/थर्माकोल इत्यादि से निर्मित मूर्तियों की स्थापना प्रतिबंधित है। मूर्तियों में केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाए। केमिकल डाईस/पेंटस का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मूर्ति विसर्जन के संबंध में जारी दिशा निर्देश (REVISED GUIDELINES FOR IDOL IMMERSION) का पालन सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस संबंध में समस्त आयोजनकर्ता की पर्याप्त समय पूर्व से ही बैठक लेकर उनको समझाइश दी जावे।

21. प्रत्येक समिति अपने पंडाल व्यवस्था बनाये रखने हेतु समूचित संख्या में पुरूष/महिला वालेंटियर्स रखेंगे। जिन्हें निर्धारित पहचान चिन्ह/परिचय पत्र समिति के द्वारा प्रदाय किया जावेगा। उक्त सभी वालेंटियर्स की सूची आयोजन समिति द्वारा संबंधित नगरीय निकाय, एसडीएम कार्यालय एवं थाना को उपलब्ध कराई जावेगी। पंडाल समिति संचालकों के पदाधिकारियों की सम्पूर्ण सूची भी मोबाईल नंबर सहित संबंधित नगरीय निकाय, एसडीएम कार्यालय एवं थाना प्रभारी को स्वयं हस्ताक्षर से जमा करावे। आयोजन की पूर्ण अवधि के दौरान पर्याप्त संख्या में महिला एवं पुरूष सिक्योरिटी गार्ड भी आयोजनकर्ता के द्वारा लगाए जाए। रात्रि में भी समिति पदाधिकारी उपस्थित रहें।

22. किसी भी पंडाल पर मादक द्रव्य सेवन कर कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करे इसके लिए समिति सजग रहे, स्वयं समिति के सदस्य भी मादक द्रव्य सेवन से दूर रहें एवं रात्रि में पंडाल में समिति के कम से कम 02 सदस्य मूर्ति स्थल के पास अनिवार्य रूप से सुरक्षार्थ मौजूद रहे।

23. बड़े पंडालों पर महिलाओं व पुरूषों के लिये पृथक–पृथक कतार की व्यवस्था की जावें। इसके लिये वालेंटियर्स लगाये जाए।

24. पूजा हेतु चंदा एकत्रीकरण पूर्णतया दानदाता की स्वेच्छा से ही किया जाए एवं राशि की रसीद दी जाये। जबरन चंदा उगाही की शिकायत मिलने पर उगाहीकर्ता के साथ–साथ पूरे समिति पर सख्त कार्यवाही की जावेगी।

25. मूतियों का विसर्जन केवल स्थानीय निकाय द्वारा निर्मित अस्थायी कुण्ड अथवा चिन्हित तथा निर्धारित विसर्जन स्थल पर ही किया जावे। विसर्जन के पूर्व मूर्तियों से पूजन सामाग्री यथा फूल मालायें, वस्त्र, धूप अगरबत्ती इत्यादि को हटाया जाकर ही विसर्जन की जावे। विसर्जन निर्धारित दिनांक को ही किया जावे, इसी समयावधि में सभी समितियां अपना–अपना विसर्जन करेंगे, क्योकि इसके बाद पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। इस संबंध में पूर्व में समितियों की बैठक ली गई थी जिसमें समिति के सदस्यो द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पितृपक्ष मे विसर्जन नहीं की जावेगी।

26. विसर्जन समापन के 24 घंटे के भीतर स्थानीय निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ठों का संग्रहीकरण, पृथकीकरण एवं अपवहन (डिस्पोजल) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रावधानों के अनुरूप ही किया जावे।

27. प्रत्येक विसर्जन स्थल पर संबंधित नगरीय निकाय (जिसके क्षेत्र विसर्जन हो रहा है अथवा जिसके क्षेत्र की मूर्ति है) एवं भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा विद्युत प्रकाश व्यवस्था, केन तथा गोताखोर/बचाव दल तैयार रखा जावेगा। नगर सेनानी दुर्ग भी अपने बचाव दल/गोताखोर मय साजो–समान तैनाती रखेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

28. झांकियों का विसर्जन हेतु निर्धारित मार्ग–पावर हाउस से मुर्गा चौक से सेक्टर–9 से तालपुरी चौक से ठगड़ा बांध तक एवं दुर्ग से गंजपारा से मिनीमाता चौक पुलगांव होते हुए शिवनाथ नदी में विसर्जन हेतु पहुंचेंगे। अन्य किसी मार्ग से अनाधिकृत रूप से विसर्जन झांकी प्रवेश कराने पर मार्ग से पृथक कर दिया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

29. प्रत्येक विसर्जन झांकी में 03 से अधिक वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जावेगा। 1. मूर्तिवाहन, 2. झांकी वाहन, 03. जनरेटर।

30. विसर्जन झांकी में किसी भी प्रकार के हथियार, भाला, तलवार, डण्डा एवं शस्त्र इत्यादि प्रतिबंधित है। साथ ही किसी भी प्रकार की नकली हथियार आदि भी पूर्णतः वर्जित है। विसर्जन झांकी में फटाखे/आतिशबाजी का प्रयोग भी प्रतिबंधित किया गया है। अतः विसर्जन यात्रा के साथ कोई भी व्यक्ति फटाखे/आतिशबाजी आदि लेकर न चलें। इस सामाग्रियों का उपयोग पाये जाने पर जब्ती की जावेगा एवं आयुध अधिनियम के तहत पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में समस्त आयोजनकर्ता को स्पष्ट रूप से समझाइश दी जावे।

31. प्रत्येक झांकी की अधिकतम ऊंचाई वाहन सहित 15 फीट से अधिक नहीं होगी। उल्लंघन पाये जाने पर मार्ग से पृथक कर दिया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

32. प्रत्येक झांकी में न्यूनतम 08 वालेंटियर लगाना अनिवार्य है। जिन्हें पूर्व से निर्धारित कर सूची पुलिस को उपलब्ध कराना होगा, जो झांकी के आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। झांकी में कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थ का सेवन न करें अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

33. झांकी एवं विसर्जन के दौरान केवल धार्मिक गानों/भजनों को बजाने की अनुमति होगी। अश्लील एवं अप्रिय गानों को बजाने की अनुमति नहीं होगी। यदि ऐसा पाया जाता है तो सख्त वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। तत्संबंध में समस्त आयोजनकर्ता को स्पष्ट रूप से समझाइश दी जावे।

34. आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपरोक्त शर्तों के उल्लघंन पाये जाने पर आयोजन समिति को स्वयं द्वारा जारी अनुमति को किसी भी समय सकारण निरस्त कर सकेगा।

35. उपरोक्त समस्त शर्ते नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र दिनांक 25.08.2026 के द्वारा जारी निर्देशों के अतिरिक्त रहेगी। अतः आयोजन हेतु जारी किए जाने वाले अनुमति आदेशों में उक्त संदर्भित पत्र तथा इस पत्र में उल्लेखित समस्त निर्देशों/शर्तों का उल्लेख किया जाए।

36. इस पत्र के माध्यम से जारी अतिरिक्त निर्देशों के तारतम्य में अनुमति हेतु आवेदन प्रपत्र में भी यथोचित संशोधन (अतिरिक्त कॉलम जोड़ने की कार्यवाही) कर लिए जाए तदुपरांत ही आवेदकों को आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएं।

(अभिजीत सिंह)
कलेक्टर,
एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग

Scanned with OKEN Scanner

पृ.क्र./781/नगरीय निकाय शाखा/2026

दुर्ग, दिनांक 1 सितम्बर 2026

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ।
4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य महाप्रबंधक, टाउनशीप, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. कार्यपालन अभियंता, छगराविविकंमर्या. (सर्व) जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (वि./यां) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क विभाग जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सेनानी, नगर सेना एवं अग्निशमन सेवाएं, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट दुर्ग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. सर्व थाना प्रभारी जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर,
एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग

Scanned with OKEN Scanner